



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 5588 वर्ष 2026

अनीश कुरैशी

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता : सुशील कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से अधिवक्ता श्री मर्जीत मिश्रा द्वारा प्रस्तुत वकालतनामा अभिलेख पर लिया जाता है।
2. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार पाण्डेय, प्रत्यर्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता श्री मर्जीत मिश्रा तथा राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विजय बहादुर मौर्य को सुना गया।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-क(2) के अन्तर्गत यह आपराधिक अपील, विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मथुरा द्वारा जमानत आवेदन संख्या 1002 वर्ष 2026 में, मुकदमा अपराध संख्या 4 वर्ष 2026 (विशेष सत्र परीक्षण संख्या 339 वर्ष 2026), धारा 64(1), 70, 351(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, थाना रिफाइनरी, जनपद मथुरा में पारित दिनांक 19.3.2026 के आदेश को निरस्त किए जाने हेतु प्रस्तुत की गई है, जिसमें उपर्युक्त धाराओं के अन्तर्गत जमानत की प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि तात्कालिक अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने न्यायालय सम्बन्धित द्वारा पारित दिनांक 19.3.2026 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उसका जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है।
5. उनका यह भी कथन है कि यद्यपि आरोप के अनुसार आवेदक ने प्रत्यर्थी संख्या-2 के साथ बलात्कार किया, किन्तु उसके विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः असत्य हैं।
6. उनका यह भी कथन है कि यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या-2 बालिग महिला है और कथित बलात्कार दिनांक 5.11.2025 को किया गया था, किन्तु वर्तमान प्रकरण की प्राथमिकी दिनांक 3.1.2026 को बीएनएसएस की धारा 173(4) के अन्तर्गत दिनांक 25.11.2026 के आवेदन के माध्यम से दर्ज कराई गई और इसलिए वर्तमान प्रकरण की प्राथमिकी अत्यधिक विलम्ब से दर्ज की गई है तथा यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का लगाया गया सम्पूर्ण आरोप पूर्णतः असत्य है।
7. उनका यह भी कथन है कि पीड़िता अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या-2 ने प्राथमिकी तथा बीएनएसएस की धारा 180 के अन्तर्गत अभिलिखित अपने कथन में केवल आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का आरोप लगाया, किन्तु जब उसका कथन बीएनएसएस की धारा 183 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया, तब उसने दो अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित कर दिया और प्रकरण को सामूहिक बलात्कार में परिवर्तित करने का प्रयास किया तथा यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रत्यर्थी संख्या-2 अविश्वसनीय साक्षी है और उस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता।
8. उनका यह भी कथन है कि पीड़िता द्वारा वर्णित कथानक भी अत्यन्त असंभाव्य है और ऐसे कथन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता।
9. उनका यह भी कथन है कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह वर्तमान प्रकरण में दिनांक 20.2.2026 से कारागार में निरुद्ध है।
10. उनका यह भी कथन है कि अभिलेख पर अपीलकर्ता के विरुद्ध ऐसा कोई ठोस एवं ग्राह्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे उसे वर्तमान अपराध से जोड़ा जा सके, किन्तु इसके बावजूद न्यायालय सम्बन्धित द्वारा अपीलकर्ता का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया और इस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रकार घोर अवैधता की गई तथा इसलिए न्यायालय सम्बन्धित द्वारा पारित दिनांक 19.3.2026 का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है और अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

11. प्रतिवाद में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और कथन किया कि अपीलकर्ता के विरुद्ध बलात्कार का गम्भीर आरोप है, किन्तु वे इस तथ्य का खण्डन नहीं कर सके कि प्रत्यर्थी संख्या-2 बालिग महिला है और वर्तमान प्रकरण की प्राथमिकी कई माह के पश्चात बीएनएसएस की धारा 173(4) के अन्तर्गत आवेदन के माध्यम से दर्ज कराई गई तथा बीएनएसएस की धारा 173(4) के अन्तर्गत आवेदन भी बीस दिन के पश्चात प्रस्तुत किया गया।

12. वे इस तथ्य का भी खण्डन नहीं कर सके कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह वर्तमान प्रकरण में दिनांक 20.2.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

13. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा प्रकरण के अभिलेख का परिशीलन किया।

14. वर्तमान अपील अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 19.3.2026 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा न्यायालय सम्बन्धित द्वारा उसका जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया है।

15. अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि यद्यपि प्रत्यर्थी संख्या-2 अनुसूचित जाति समुदाय से सम्बन्धित है और उसने आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का गम्भीर आरोप लगाया है, किन्तु वर्तमान प्रकरण की प्राथमिकी कई माह के पश्चात बीएनएसएस की धारा 173(4) के अन्तर्गत आवेदन के माध्यम से दर्ज कराई गई तथा बीएनएसएस की धारा 173(4) के अन्तर्गत आवेदन भी बीस दिन के पश्चात प्रस्तुत किया गया और इसलिए वर्तमान प्रकरण की प्राथमिकी अत्यधिक विलम्बित है।

16. आगे, पीड़िता अर्थात् प्रत्यर्थी संख्या-2 द्वारा प्राथमिकी में, बीएनएसएस की धारा 180 के अन्तर्गत अभिलिखित उसके कथन में तथा बीएनएसएस की धारा 183 के अन्तर्गत अभिलिखित कथन में वर्णित कथानक में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं और प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों की समग्रता को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन का प्रकरण प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. आगे, अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह वर्तमान प्रकरण में दिनांक 20.2.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

18. अतः, उपर्युक्त वर्णित प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय के सुविचारित मत में न्यायालय सम्बन्धित द्वारा अपीलकर्ता के जमानत आवेदन को गलत रूप से निरस्त किया गया है, क्योंकि वह प्रकरण के तथ्यों का समुचित मूल्यांकन करने में असफल रहा, इसलिए न्यायालय सम्बन्धित द्वारा पारित दिनांक 19.3.2026 का आक्षेपित आदेश अवैध है और निरस्त किए जाने योग्य है।

19. तदनुसार, वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 19.3.2026 का आक्षेपित आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अपीलकर्ता को वर्तमान प्रकरण में जमानत पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया जाता है।

20. अपीलकर्ता-अनीश कुरैशी को उपर्युक्त प्रकरण में उसके द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर, न्यायालय सम्बन्धित की संतुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) अपीलकर्ता विचारण के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (ii) अपीलकर्ता अभियोजन साक्षी को दबाव में नहीं डालेगा/धमकाएगा।
- (iii) अपीलकर्ता नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।
- (iv) अपीलकर्ता ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा, जो उस अपराध के समान हो, जिसके लिए वह अभियुक्त है अथवा जिसके लिए जाने का उस पर संदेह है।
- (v) अपीलकर्ता प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख करने के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

21. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

24 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।